

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2023::लखनऊ::दिनांक::जनवरी 02, 2023

--आदेश--

प्रभारी सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, कानपुर के पत्रांक-641/2022 दिनांक 16.12.2022 पर सम्यक विचारोपरान्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 कानपुर से सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर को अधोअंकित स्टे के विरुद्ध अपील नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्र० सं०	अपील सं०	फर्म का नाम	क०नि०वर्ष
1	48/2022	सर्वश्री स्वादिष्ट आयल प्रा० लि०, कानपुर।	12-13

ह०/02.01.2023

(अरविन्द मलिक)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ <sup>1921</sup> /2023, दिनांक उक्त।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर।  
2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर।  
3-असि० कमि०/रा०प्रति० पीठ-2 व 3, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।  
4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।  
5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।